दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

नि.प्र.क्र. R-1185-II/14 सन् 2014

1. जागेश्वर तनय हल्के लोधी
2. काशीबाई पुत्री स्व.श्री विलासी लोधी
3. किशोरी पुत्र स्व.श्री गुलाब लोधी
4. हल्के पुत्र स्व.श्री मोहन लोधी

समस्त निवासीगण ग्राम गौरगाँय तह. व जिला छतरपुर (म.प्र.) **निगरानीकर्तागण**

बनाम

1. शासन मध्य प्रदेश
2. सन्तोष कुमार तनय द्वारका प्रसाद अग्रवाल
   निवासी शांतिनगर पुराना बिजावर नाका के पास, छतरपुर (म.प्र.)
3. बृजलाल तनय भगवानदास निवासी गौरगांय तह. व जिला छतरपुर (म.प्र.)
4. मैयादीन तनय कलुवा निवासी सौंरा तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)
5. गुरूचरन सिंह तनय राजेन्द्रसिंह निवासी बस स्टैण्ड, छतरपुर
   तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

उत्तरवादीगण

निगरानी विरूद्ध प्रकरण 778/स्व.प्रे.नि./07-08 म.प्र. शासन बनाम जागेश्वर प्रसाद बगैरह आदेश दिनांक 18.03.2013 अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर (म.प्र.)

महोदय,

निगरानीकर्तागण निम्नलिखित विनय प्रस्तुत करते हैं कि-

1- यह कि खसरा नम्बर 167, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 कुल किता 10 कुल रकवा 2.860 हैक्टे. स्थित ग्राम गौरगाँय तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.) निगरानीकर्तागणों के पिता बिन्द्रावन लोधी, विलासी लोधी, गुलाब लोधी के नाम 1/4 हिस्सा भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है तथा उपरोक्त भूमि का 1/4 हिस्सा निगरानीकर्ता क्रमांक 04 हल्के तनय स्व. मोहन लोधी के नाम दर्ज थी तथा शेष 1/4 हिस्सा मनप्यारे तनय रामदास ढीमर के नाम दर्ज थी मनप्यारे तनय रामदास ढीमर लावल्द फौत हो गया था मनप्यारे तनय रामदास ढीमर अपने जीवनकाल में एक बसीयतनामा निगरानीकर्ता क्रमांक 01, 02, 03 के पक्ष में लेख किया गया था जिसके आधार पर मनप्यारे का 1/4 हिस्सा निगरानीकर्ता क्रमांक 01, 02, 03 के नाम दर्ज किया गया था खसरा नम्बर 404 रकवा 4.91 एकड़ भूमि मनप्यारे तनय रामदास ढीमर के नाम दर्ज थी मनप्यारे की मृत्यु के बाद कथित भूमि कब्जे के आधार पर ना.पं.क्र. 51 आदेश दिनांक 28.07.1971 (तहसीलदार छतरपुर) के आधार 1/2 हिस्सा बिन्द्रावन लोधी, विलासी लोधी, गुलाब लोधी एवं हल्के तनय मोहन लोधी के नाम 1/2 हिस्सा

क्रमशः-2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1185–तीन/14 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.1.2015	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 778/स्व0प्रेरणा निगरानी/वर्ष 2007–08 में पारित आदेश दिनांक 18–3–2013 की सत्यप्रतिलिपि व अभिलेख का अवलोकन किया गया जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 2– अपर कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय में यह निगरानी 1 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । इतनी लम्बी अवधि तक प्रकरण की जानकारी क्यों नहीं ली गई ? आवेदक तथा उसके अभिभाषक का भी कर्त्तव्य था । समय सीमा माफी के आवेदन में बताये गये कारण पर्याप्त नहीं होने से समय सीमा में छूट नहीं दी जा सकती । अतः प्रथम दृष्टया यह निगरानी अवधि बाह्य होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	